NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 167/NCRES/19

Date :26.06.2019

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषयः– एक्ट अप्रेन्टिस के तहत झांसी कारखाना में नियुक्त 97 कर्मचारियों में से 18 कर्मचारियों को MACP के तहत GP 4200 का लाभ न दिया जाना।

महोदय,

झांसी कारखाना में टेक्नीशियन–।।। के पद रिक्त न होने पर एक्ट अप्रेन्टिस के परीक्षण के उपरान्त 97 कर्मचारियों को अस्थायी रूप से खलासी के पद पर नियुक्त किया गया एवं बाद में उनके ट्रेड में रिक्तियां होने पर सभी कर्मचारियों को कुशल फिटर/कुशल वेल्डर/कुशल मिलराइट फिटर आदि के पदों पर नियुक्ति प्रदान की गयी लेकिन 97 कर्मचारियों में केवल 79 कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में अस्थाई खलासी की सेवा समाप्त कर टेक्नीशियन–।।। का पद दर्ज किया गया और गलती से 18 कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में अस्थाई खलासी की सेवा समाप्त कर टेक्नीशियन–।।। दर्ज नही किया गया।

79 कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति टेक्नीशियन–।।। में मानते हुये उन्हे MACP के तहत GP 4200 का लाभ दिया गया किन्तु बाद में प्रशासन द्वारा उपरोक्त की प्रथम नियुक्ति खलासी के पद पर मानते हुये ग्रेड पे 4200 को वापस लेकर रिकवरी का आदेश पारित किया गया, परिणामस्वरूप झांसी कारखाना के 79 कर्मचारी में से 65 कर्मचारियों नें इलाहाबाद कैट में OA No. 1170/2013 दाखिल किया जिसपर माननीय कैट नें दिनांक 17.11.2016 को कर्मचारियो के पक्ष में निर्णय दिया और टेक्नीशियन–।।। की नियुक्ति को प्रथम नियुक्ति मानते हुये तृतीय MACP का लाभ GP 4200 में देने का आदेश पारित किया।

कैट के निर्णय का अनुपालन करते हुये रेल प्रशासन द्वारा 65 कर्मचारियों के साथ–साथ 14 उन कर्मचारियों को भी जिनके सेवा पंजिका में अस्थायी खलासी/पद की सेवा समाप्त करने एवं टेक्नीशियन–।।। पर नियुक्त करने का उल्लेख दर्ज था, को तृतीय MACP GP 4200 का लाभ दिया गया किन्तु 18 ऐसे कर्मचारियों को लाभ से वंचित रखा गया जिनकी सेवा पुस्तिका में प्रशासन की गलती से अस्थायी खलासी की सेवाएं समाप्त कर टेक्नीशियन–।।। पर नियुक्ति करने का उल्लेख दर्ज नही किया गया था जबकि ये 18 कर्मचारी भी समान प्रकृति के थे।

यह भी अवगत कराना है कि प्रशासन की गलती का खामियाजा भुगत रहे शेष 18 कर्मचारी ग्रेड पे 4200 देने के लिये लगातार अनुरोध करते रहे लेकिन उन्हे तृतीय MACP के तहत ग्रेड पे 4200 का

लाभ नही दिया गया जिसपर NCRES ने इस मामले को गम्भीरता से लिया व कर्मचारियों के प्रति हो रहे अन्याय को देखते हुये उप मुख्य कार्मिक अधिकारी झांसी से इन्हे भी GP-4200 से देने का अनुरोध किया जिसपर उप कार्मिक अधिकारी ने दिनांक 31.10.18 को मामले का निस्तारण करने हेतु मुख्यालय को पत्र भी लिखा किन्तु दुर्भाग्य से अभी तक झांसी कारखाना के लिये कोई दिशा निर्देश जारी नही किया गया जिससे अभी तक 18 कर्मचारी लाभ से वंचित है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि 79 कर्मचारी की तरह समान प्रकृति के शेष बचे इन 18 कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में भी अस्थायी खलासी की सेवा समाप्त कर टेक्नीशियन–।।। दर्ज करने और इन्हे भी तृतीय MACP का लाभ देते हुये GP 4200 देने के लिये आदेश करने का कष्ट करे।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री